Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

आज अदालत उपखण्डाधिकारी (राजस्व) मुकाम ....रायसिंहनगर

प्रार्थना पत्र नरेन्द्र कुमार पुत्र नन्दराम

बाबत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने नम्बर ....22 सन् 2019

14.06.2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
14.06.2019	प्रार्थी नरेन्द्र कुमार पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी श्यामगढ तह. रायसिंहनगर ने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2019 पेश कर निवेदन किया कि चक श्यामगढ बारानी तहसील रायसिंनहगर के मु.नं. 45 प.नं. 226/344 के कि.नं. 21–22–23–24–25 व मु.नं. 64 प.नं. 226/345 के कि.नं. 5–6–15–16–25 के अरसा करीब 50 वर्षो से रास्ता चला आ रहा हैं। लेकिन उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज नहीं हैं। उक्त चक के समस्त काश्तकारान को अपने खेत में आने जाने का एक मात्र रास्ता है जो सभी काश्तकारान के लिए सुविधाजनक हैं। इस रास्ता बाबत किसी भी काश्तकार को कोई आपत्ति नहीं हैं। अतः चक श्यामगढ बारानी तहसील रायसिंनहगर के मु.नं. 45 प.नं. 226/344 के कि.नं. 21–22–23–24–25 व मु.नं. 64 प.नं. 226/345 के कि.नं. 5–6–15–16–25 के अरसा करीब 50 वर्षो से चले आ रहे उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/राजस्व/18/437 दिनांक 15.05.2019 के अनुसार चक श्यामगढ बारानी के मु.नं. 46 के कि.न. 21ता25 में रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। इसके पूर्वी साइड में चिपते हुए मु.नं. 45 के कि.नं. 21ता25 में मौका पर रास्ता चालू हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं। मु.नं. 64 के कि.नं. 5–6–15–16–25 में भी रास्ता मौका पर चालू हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं। खेत पडोसियान एवं मौका पर मौजूद ग्रामवासियों ने बताया कि उक्त रास्ता लगभग 40–50 वर्ष से चल रहा हैं। एवं उक्त रकबा पर किसी न्यायालय का स्थगन/विवाद नहीं हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार रास्ता मौका पर चालू है। जो लगभग 40–50 वर्षो से चल रहा हैं। तथा उक्त रकबा पर किसी न्यायालय का स्थगन/विवाद नहीं हैं। लिहाजा चक श्यामगढ बारानी तहसील रायसिंनहगर के मु.नं. 45 प.नं. 226/344 के कि.नं. 21–22–23–24–25 व मु.नं. 64 प.नं. 226/345 के कि.नं. 5–6–15–16–25 के अरसा करीब 50 वर्षो से चले आ रहे उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंनहगर को दिए जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार राजस्व रायसिंनहगर को लिखा जावे। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	